फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

मास्टर राजेश व अन्य.......................... बनाम रूकमा व अन्य ....

किस्म मुकदमा 53,88,188 मुकदमा नम्बर 86/2016......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.11.2019	पत्रावली पेश हुई। राजकीय पेरोकार उपस्थित । वकील वादी उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 7.4.2017, 13.08.2019, 29.8.19, को प्रतिवादीगण 1 वसे 7 व 9 की तलबी हेतु सही पते के नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु वादी/वादी अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किए जाने पर दिनांक 7.4.2017, 13.08.2019, 29.8.19, को आदेशित किया गया कि प्रतिवादीगण की सही पते के नोटिस पेश करने हेतु बार बार आदेशित किए जाने के उपरान्त पालना नही किए जाने के कारण पुनः पालना हेतु निदेशित किया गया इसके बावजूद भी वादी/वादी अधिवक्ता को दिनांक 27.9.19 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में वादी का वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 7.4.2017, 13.08.2019, 29.8.19, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 27.9.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादी कावाद पत्र पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी	

Scanned by CamScanner